

डिक्री एवं मुकदमे ईत्दाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 419/2025

- 1 सुखविन्द्र सिंह पुत्र फलेल सिंह जाति जटसिख सा. बजीतपुरा भोमा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
- 2 गुरविन्द्र सिंह पुत्र फलेल सिंह जाति जटसिख सा. बजीतपुरा भोमा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

— वादीगण

बनाम

- 1 फलेल सिंह पुत्र लाल सिंह जाति जटसिख सा. बजीतपुरा भोमा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
- 2 जसप्रीत कौर पुत्री फलेल सिंह पत्नी जगदीप सिंह जाति जटसिख निवासी टप्पाखेडा तहसील मलोट जिला श्री मुक्तसर साहिब तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह. संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील वादीगण व श्री चरणजीत सिंह सिद्ध वकील प्रति स. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 9 के.एस.डी. खाता स. 108/58 खाता गुरविन्द्र सिंह वगैरा ज.स. 2070-73 व चक 9 के.एस.डी. खाता स. 107/80 व चक 9 के.एस.डी. खाता स. 67/58 खाता फलेल सिंह ज.स. 2070-73 में प्रति स. 1 फलेल सिंह पुत्र लाल सिंह के नाम दर्ज आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः इसी मुताबिक वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा उक्त खाता से प्रति स. 1 फलेल सिंह पुत्र लाल सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

नोट:- यदि प्रशनगत भुमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज.......... निल.......... मुब्लिक.......... निल.......... बाबत्.  
.......... निल.......... खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक..........अदा करें।  
बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...22.8.2025...को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलैक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया